

विज्ञप्ति संख्या-13/2015

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद।

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 एवं पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार अधिसूचना संख्या-1388, दिनांक 22.06.2015 में निहित निदेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में परिवर्तन होने के कारण कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 08/2015 एवं 07/2015 को निरस्त करते हुये पुनः झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से कक्षा 08 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान, कला, भाषा, उर्दू भाषा शिक्षक) एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 09/2015 एवं विज्ञप्ति संख्या 10/2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक कक्षा 06 से 08 के लिये एवं दिनांक 07.08.2015 तक कक्षा 01 से 05 के लिये स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में निर्धारित अवधि तक कक्षा 06 से 08 के लिये कुल 19881 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये कुल 11664 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रुटनी गठित टीम के द्वारा करने उपरांत डाटा को कम्प्युटरीकृत करते हुये धनबाद NIC के वेबसाईट पर लोड करते हुये कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 11/2015 एवं विज्ञप्ति संख्या 12/2015 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्ति की मांग की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के आलोक में कक्षा 06 से 08 के लिये लगभग 2217 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये 1632 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करते हुये औपबधिक मेधा सूची तैयार की गई है जिसे www.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

औपबधिक मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग की तिथि निम्नवत् निर्धारित की गई है।


काउंसिलिंग की तिथि	स्थान एवं समय	प्रतिभागी का विवरण
14.09.2015	बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय बालवाड़ी, धनबाद नियर कम्बाईड बिल्डिंग पूर्वाहन्:- 10:00 बजे से	कक्षा 06 से 08 के सभी कोटि के अभ्यर्थी
16.09.2015	बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय बालवाड़ी, धनबाद नियर कम्बाईड बिल्डिंग पूर्वाहन्:- 10:00 बजे से	कक्षा 01 से 05 के सभी कोटि के अभ्यर्थी


काउंसिलिंग के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ इस हेतु गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है-

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण-पत्रों के साथ।
2. झारखण्ड टेट प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण-पत्र के साथ।
3. सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण-पत्र के साथ। उक्त दोनों प्रमाण-पत्र अद्यतन एवं विहित-प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
4. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
5. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण-पत्र के साथ।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण-पत्र के साथ।
7. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वघोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत नहीं हैं। यदि कार्यरत है तो इस जिले में आवेदन पत्र देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं?
8. डी0पी0ई0 योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनका चयन गैर पारा श्रेणी में की गई है उनके आवेदन पत्र में पारा शिक्षक के विवरण का कॉलम खाली है तथा बी0ई0ई0ओ का प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं है ऐसी स्थिति में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि डी0पी0ई0 की योग्यता उन्होंने कैसे हासिल की तथा वर्तमान में वे पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत नहीं हैं।
9. ऐसी सूचना है कि पारा शिक्षक जिनका चयन पूर्व में शिक्षक पद पर हो चुका है वैसी स्थिति में वर्तमान में वे पारा शिक्षक नहीं हो सकते हैं। फिर भी उनके आवेदन पत्र के आलोक में पारा शिक्षक श्रेणी में चयन किया गया है। पारा कोटि में चयनित सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हैं।
10. 22सें0मी0 x 10सें0मी0 का एक स्टैन्डर्ड साईज लिफाफा जिसपर 27/-रूपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बन्द कभर फाईल में रखा होगा। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा क्रमांक/कोटि अंकित होगा।

काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु अलग से कोई पत्र नहीं दिया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग से अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का चयन रद्द करते हुये उसके विरुद्ध दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जायेगा।


जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद


उपायुक्त,
धनबाद